

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
निविदा आमंत्रण सूचना (N.I.T.)

क्र. / आई डब्लू डी / २०१६ / ८५

सागर, दिनांक २७ / ७ / २०१६

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा निम्नलिखित सामग्री हेतु मुहर बंद निविदा, उचित श्रेणी के विश्वविद्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक ३/८/२०१६ सायं ४:३० बजे तक विश्वविद्यालय यंत्री कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदा प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा समिति द्वारा खोले जायेंगे।

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री प्रदाय करने की समय अवधि
1	Supplying and Fixing of Powder coated Aluminium Partition as per Specification Given in Aneexure	१० दिवस

S.No.	Discription of Items	Quantity	Rate	Unit	Amount
AS PER SHEET ATTACHED					


- (अ) निविदा प्राप्त होने की तिथि ३/८/२०१६ सायं ४:३० बजे तक
(ब) निविदा खोले जाने की तिथि ३/८/२०१६ सायं ५:३० बजे
(स) अनर्रैस्ट मनी रू. 10000.00 (डी.डी. कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. के नाम)
(द) कोटेशन प्रपत्र शुल्क रू. 100.00
(इ) यह निविदा प्रपत्र वि.वि. की web site www.dhsgsu.ac.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ कोटेशन शुल्क रू. 100.00 की ,डी.डी./ वि.वि. केशियर शाखा की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।

निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है -

- पेन नंबर एवं टिन नंबर प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- विश्वविद्यालय में नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने का प्रमाण पत्र।
(रिश्तेदारों की परिभाषा- पति, पत्नि, अभिभावक, पुत्र, पुत्री, प्रपोत्र, भाई, बहिन साला, बहनोई, सास, ससुर)

प्रति,

.....
.....
.....


 विश्वविद्यालय यंत्री / University Engineer
 आई डब्लू डी / N.I.T.
 डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
 Doctor Hari Singh Gaur, V.V. Sagar (M.P.)
 27/07/16

नोट :- समस्त नियम, शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त करें ।

नियम एवं शर्तें -

1. एकल अथवा समस्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, एवं उचित कारणों से न्यूनतम कोटेशन दर के अलावा भी निविदा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे
2. निर्धारित समय सीमा के उपरांत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं होगा, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होंगे ।
3. प्राप्त निविदा की वैधता निविदा प्राप्त होने के अंतिम तिथि से 60 दिवस तक वैध रहेगी ।
4. दरें समस्त टैक्सों सहित होंगी, एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा ।
5. समस्त टैक्स इत्यादि की कटौती शासन के नियमानुसार की जावेगी ।
6. भुगतान सामग्री प्रदान के वास्तविक माप/स्पेसीफिकेशन के आधार पर होगा ।
7. सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदान करने के उपरांत एवं प्रभारी का सामग्री से संतुष्ट होने के उपरांत होगा ।
8. कोई भी निरस्त सामग्री अथवा कार्य, सप्लायर को स्वयं के खर्चे पर कार्य स्थल से हटाना होगा ।
9. निविदा खोले जाते समय सप्लायर अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।
10. कार्य अधूरा छोड़ने पर, कार्य किसी अन्य एजेंसी अथवा संबंधित सप्लायर की रिस्क एण्ड कास्ट पर पूर्ण करवाया जा सकेगा ।
11. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा ।
12. सामग्री की विभिन्न मदों की कुल लागत मूल्य का योग अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जायें, दरों में काटा-पीटी अथवा पुर्नलेखन किये जाने पर सप्लायर के द्वारा वह दर प्रतिहस्ताक्षरित की जावें ।
13. एक कार्य के लिये सप्लायर के द्वारा एक ही निविदा दी जा सकेगी ।
14. निविदा के प्रपत्रों में सप्लायर द्वारा किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तब निविदा निरस्त माना जायेगी ।
15. आवश्यकता होने पर चलित देयक का भुगतान किया जावेगा ।
16. यदि न्यूनतम निविदाकार अपनी दरें वापिस लेता है तब सुरक्षा निधि की राशि राजसात की जावेगी, एवं उन्हें संबंधित कार्य के लिये पुनः निविदा देने का अधिकार नहीं होगा ।
17. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की घोषित तिथि पर निविदा नहीं खोले जाते है तब निविदा खोले जाने की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी
18. प्रस्तुत किये गये देयकों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा ।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षों को बंधनकारी होगा ।
20. आवश्यकता होने पर दी गई क्वान्टिटी सीट में दर्शाई गई क्वान्टिटी में 30 प्रतिशत तक कमी या वृद्धि की जा सकेगी, जिसके लिये सप्लायर का किसी भी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा ।
21. आवश्यकता होने पर कार्य का रिपीट आदेश जारी किया जा सकेगा ।

